रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰ (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 48] नई दिल्ली, नवम्बर 20—नवम्बर 26, 2005, शनिवार/कार्तिक 29—अग्रहायण 5, 1927

No. 48] NEW DELHI, NOVEMBER 20—NOVEMBER 26, 2005, SATURDAY/KARTIKA 29—AGRAHAYANA 5, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

(पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय)

शिलांग, 9 नवम्बर, 2005

सा. का. नि. 402.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग में निदेशक (योजना मूल्यांकन और अनुश्रवण) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत : :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग, निदेशक (मूल्यांकन और अनुश्रवण) वर्ग 'क' पद भर्ती नियम, 2005 कहा जाएगा।

(2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

3. **भर्ती की प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कालम (5) से (14) में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।

4. **निरर्हता** : जिसने—

(क) किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों या

(ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

6. **व्यावृत्ति .**—इन नियमों से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विशेष श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद या गैर-प्रवरण पद	क्या जोड़े गए सेवा वर्षों के लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत देय है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निदेशक (योजना मूल्यांकन और अनुश्रवण)	01*(2005) *(कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर आ सकता है।)	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'क', राजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	12,000-375-16,500 रुपए	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती से आने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु एवं अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती प्रणाली/सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	यदि भर्ती, प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा की जाती है तो वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)	**प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)** केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, अर्द्ध सरकारी, सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के अधिकारी जो : (क)(i) पैतृक संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों या (ii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 10000-15,200 के वेतनमान वाले पदों या समकक्ष पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों; और

(12)
(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से अर्थशास्त्र, सांख्यिकी या कंप्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी में बैचलर डिग्री। (ii) अनुसंधान या अन्वेषण कार्य तथा अनुसंधान या अन्वेषण कार्य के पर्यवेक्षण, आंकड़ों के विश्लेषण आर्थिक नीतियों की विवक्षाओं की जाँच-पड़ताल में दस वर्षों का अनुभव। (केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में नियुक्ति के तत्काल पहले अन्य नि:संवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति/अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति/अनुबंध की अवधि सामान्यत: 4(चार) वर्ष से अधिक नहीं होगी)। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	जिन परिस्थितियों में भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
लागू नहीं	पद भरने तथा इन भर्ती नियमों के किसी प्रावधान को संशोधित या शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होगा।

[फा. सं. एनईसी/एडीएम/10/2003-खण्ड-II]

राजीव माथुर, उप सचिव

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(North Eastern Council Secretariat)

Shillong, the 9th November, 2005

G.S.R. 402.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules for regulating the method of recruitment to the post of Director (Plan Evaluation and Monitoring) in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong Director (Plan Evaluation and Monitoring) Group 'A' Post Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Posts, Classification and Scale of Pay.—The number of posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, Age Limit, Qualifications etc.—The method of recruitment, to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the Personal Law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Director (Plan Evaluation and Monitoring)	1* (2005) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-'A', Non-Ministerial.	Rs. 12,000-375-16,500	Not aplicable	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which recruitment by promotion/deputation/absorption to be made.
11	12
Deputation (including short term contract).	**Deputation (including short term contract)** : Officers of the Central Government, State Government, Union Territories, Public Sector Undertakings, Recognised Research Institutions, Universities, Semi Government, Statutory or Autonomous Organisations : (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience :

(3)

12

(i) Master's Degree in Economics or Statistics or Computer applications or Bachelor's Degree in Engineering from a recognized University or equivalent.

(ii) possessing ten years' experience in Research or Investigation work and supervising research or investigation, analysis of data, examination of implications of economic policies.

(Period of deputation/contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 4 (Four) years.

The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post and for amendment or relaxation of any provision of these Recruitment Rules.

[F. No. NEC/ADM/10/2003-Vol. II]

R. MATHUR, Dy. Secy.